<u>समाचार</u>

सड़कों में मवेशी छोड़ने पर लगेगा प्रतिदिन 2000 रू. अर्थदण्ड

(पशुपालकों को दी गई हिदायत, सड़कों पर स्वच्छंद विचरण हेतु न छोड़े पालतू जानवर)

कोरबा 21 सितम्बर 2019 –नगर के मुख्य मार्गो व अन्य मार्गो पर पशुओं के स्वच्छंद विचरण करते पाये जाने पर निगम अब पशुओं के स्वामियों पर 2000रूपये का अर्थदण्ड/शमन शुल्क प्रतिदिन की दर से आरोपित करेगा, साथ ही पशु स्वामियों को खुराक की राशि भी देनी होगी। आयुक्त श्री राहुल देव के निर्देश पर निगम द्वारा पशु पालकों को हिदायत दी गई है कि अपने पालतू मवेशियों को अपने निजी परिसर में ही रखें, उन्हें स्वच्छंद विचरण हेतु सड़कों पर न छोड़ें।

यहां उल्लेखनीय है कि नगर की सड़कों, मुख्य व संपर्क मार्गो में पशुपालकों द्वारा अपने पालतू मवेशियों को स्वच्छंद विचरण हेतु खुला छोड़ दिया जा रहा है, सड़कों पर स्वच्छंद विचरण करते मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं तथा आमजन को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आयुक्त श्री राहुल देव के निर्देश पर निगम द्वारा लगातार सड़कों, मार्गो से मवेशियों को उठाकर कांजीघर व गोठान में पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, इसके बावजूद भी पशुपालकों द्वारा सड़कों पर लगातार अपने मवेशियों को स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ा जा रहा है। अब निगम इस पर कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है, निगम द्वारा यदि मार्गो पर पशुओं को विचरण करते हुए पाया जाता है तो उन्हें कांजीघर में निरूद्ध कर पशुओं के स्वामियों पर 2000 रूपये का अर्थदण्ड/शमनशुल्क प्रतिदिन की दर से आरोपित करेगा, साथ ही पशु स्वामियों को खुराक की राशि भी देनी होगी।